International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM)
Volume: 09 Issue: 07 | July - 2025 SJIF Rating: 8.586 ISSN: 2582-3930

छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन ((मंडी)) बोर्ड का विकासात्मक विश्लेषण (2021–2025)

डॉ. आकांक्षा राठौर
सहायक प्राध्यापक(वाणिज्य)
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस
शासकीय तुलसी महाविद्यालय, अनूपपुर

सारांश (Abstract)

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ जनसंख्या का बड़ा भाग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। इस संदर्भ में कृषि विपणन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह कृषकों की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने में सहायक होती है। छत्तीसगढ़ राज्य, जो मुख्यतः कृषि पर आधारित है, यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड की स्थापना की गई है। यह बोर्ड कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से कृषकों को बेहतर बाजार, मूल्य समर्थन, सुविधाएँ तथा बिचौलियों से मुक्ति जैसे आवश्यक पहलुओं पर कार्य करता है।

यह शोध पत्र वर्ष 2021–2025 के दौरान मंडी बोर्ड द्वारा किए गए वित्तीय व्यय, योजनागत विकास, नीतिगत पहलों और संस्थागत सुधारों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें राजस्व और पूंजीगत आय-व्यय, अधोसंरचना निर्माण, ऋण-अनुदान सहायता, मंडी समितियों की श्रेणीकरण व्यवस्था तथा कृषक हितैषी योजनाओं की समीक्षा की गई है। साथ ही, कृषि विपणन तंत्र में पारदर्शिता, कुशल प्रशासन, तकनीकी उन्नयन तथा योजना क्रियान्वयन में विद्यमान चुनौतियों को उजागर कर यथोचित सुझाव भी दिए गए हैं।

परिचय (Introduction)

छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिनका जीवन कृषि, वनोपज, पशुपालन और लघु उद्योगों पर निर्भर है। कृषि उत्पादों का उचित विपणन न केवल कृषकों की आय बढ़ाने बल्कि समग्र ग्रामीण विकास के लिए भी अनिवार्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड की स्थापना की गई है।

मंडी बोर्ड का गठन कृषि उपज मंडी समितियों के नियमन, नियंत्रण एवं विकास के लिए किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषकों को उनकी उपज के लिए न्यायसंगत मूल्य दिलाना, विपणन सुविधाओं का विकास करना, अधोसंरचना निर्माण और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना है। मंडी समितियों के माध्यम से राज्य में मूल्य वसूली, तोल, भंडारण, परिवहन, विश्राम गृह, बीमा, ऋण आदि सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

वर्ष 2021 से 2025 के बीच मंडी बोर्ड ने डिजिटल पोर्टल, ई-मंडी, कोल्ड स्टोरेज, कृषक विश्राम गृह, महिला कृषकों के लिए विशेष व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी प्रणाली, अनुदान और ऋण सहायता जैसे अनेक नवाचार किए। इस अवधि में बोर्ड की आय में निरंतर वृद्धि हुई, जिससे योजनागत व्यय का दायरा भी बढ़ा। वर्ष 2024–25 में कुल आय ₹4,559 करोड़ और व्यय ₹3,513 करोड़ रहा, जिससे ₹1,045 करोड़ का अधिशेष प्राप्त हुआ।

हालाँकि, मंडी समितियों की श्रेणीकरण व्यवस्था में असंतुलन, तकनीकी प्रशिक्षण की कमी, निरीक्षण प्रणाली की निष्क्रियता, चुनाव प्रक्रिया में विलंब और कृषकों की संगठनात्मक क्षमता का अभाव जैसी चुनौतियाँ भी बनी हुई हैं। विशेषकर छोटे और सीमांत कृषकों को मंडी समितियों तक लाने तथा उन्हें उचित सुविधा देने की दिशा में और अधिक प्रयास आवश्यक हैं।

इस शोध में मंडी बोर्ड की भूमिका का समग्र विश्लेषण करते हुए, विभागीय एवं शासन स्तर पर सहयोगात्मक प्रयासों — जैसे ऋण/अनुदान वितरण, अधोसंरचना परियोजनाएँ, सौर ऊर्जा सुविधाएँ, कृषक सम्मेलन, बीमा योजनाएँ आदि — के प्रभाव का आकलन किया गया है। इसका उद्देश्य कृषि विपणन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं किसान-केंद्रित बनाना है, ताकि 'विकसित भारत' की अवधारणा में छत्तीसगढ़ का सक्रिय योगदान सुनिश्चित किया जा सके।

कीवर्ड (Keywords):

आय-व्यय, अधिशेष प्रतिशत, मंडी समितियाँ, सहसंबंध गुणांक , कृषक कल्याण, योजनागत विकास।

उद्देश्य (Objectives)

इस शोध का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड की कार्यप्रणाली, वित्तीय प्रबंधन, और कृषक कल्याण में इसके योगदान का समग्र मूल्यांकन करना है। निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत यह विश्लेषण किया गया है:

1. वर्ष 2021–2025 के मध्य आय-व्यय प्रवृत्तियों का तुलनात्मक मूल्यांकन ।
2. बोर्ड की प्रमुख नीतियों एवं नवाचारों का आंकलन करना।
3. भविष्य के लिए नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध पद्धति (Methodology)

यह शोध द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन है। शोध में निम्नलिखित पद्धतियों और स्रोतों का उपयोग किया गया है:

विश्लेषण की विधियाँ (Analytical Tools):

- तुलनात्मक विश्लेषण : चार वर्षों के वित्तीय आँकड़ों की आपस में तुलना कर विकास की प्रवृत्तियों का अध्ययन।
- प्रतिशत विश्लेषण : व्यय एवं आय मदों की प्रवृत्तियों का प्रतिशत आधारित विश्लेषण।
- व्यय प्रतिशत = (व्यय / कुल आय) × 100
- अधिशेष प्रतिशत = (अधिशेष / कुल आय) × 100
- सहसंबंध गुणांक।

आंकड़ो का विश्लेषण:

छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन ((मंडी)) बोर्ड

वर्ष 2021–2022 से 2024–2025 तक आय-व्यय का का तुलनात्मक मूल्यांकन

वर्ष	कुल आय (₹)	कुल व्यय (₹)	अधिशेष (₹)	व्यय % (आय पर)	अधिशेष % (आय पर)
2021–22	2,909,206,807	2,615,401,552	293,805,255	**89.92%**	**10.10%**
2022–23	3,885,143,661	3,449,686,140	435,457,521	**88.79%**	**11.21%**
2023–24	4,557,967,685	3,743,435,113	814,532,572	**82.15%**	**17.86%**
2024–25	4,559,250,616	3,513,793,643	1,045,456,973	**77.06%**	**22.94%**

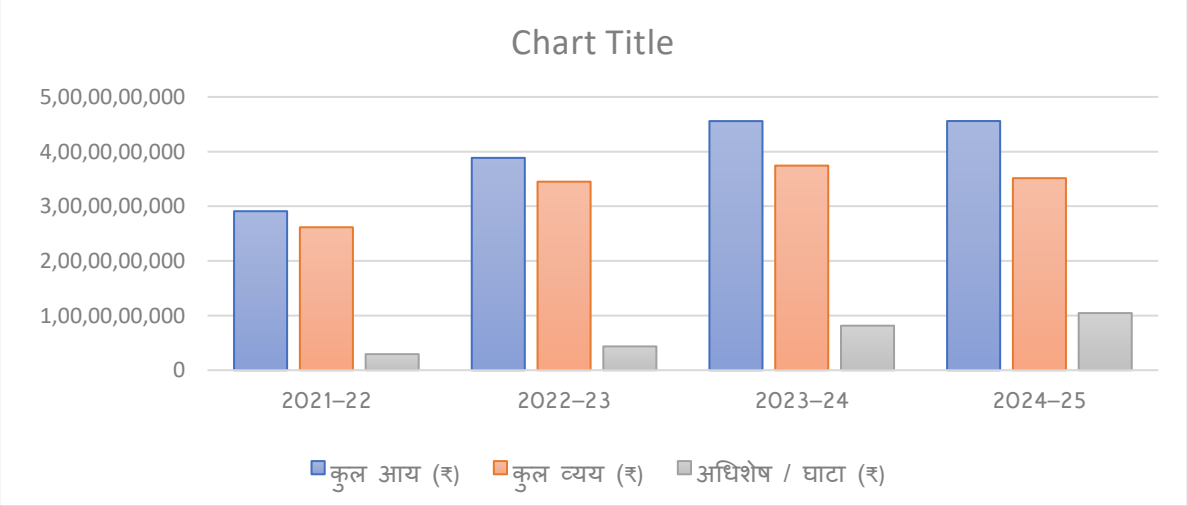

वर्ष 2021–2025 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड की वित्तीय स्थिति में निरंतर सुधार देखा गया। वर्ष 2021–22 में आय ₹290.92 करोड़ और अधिशेष 10.10% था। इसके बाद प्रत्येक वर्ष आय और अधिशेष दोनों में वृद्धि हुई। वर्ष 2022–23 में अधिशेष बढ़कर 11.21% हो गया, जो व्यय पर नियंत्रण को दर्शाता है। वर्ष 2023–24 में आय ₹455.79 करोड़ और

अधिशेष 17.86% रहा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में दक्षता बढ़ी है। अंततः, वर्ष 2024–25 में (मंडी) बोर्ड की अब तक की सर्वश्रेष्ठ वित्तीय स्थिति दर्ज की गई—आय ₹455.92 करोड़ और अधिशेष 22.94% रहा। यह संकेत करता है कि बोर्ड ने संसाधनों के संरक्षण, योजनाओं की प्राथमिकता और प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से वित्तीय स्थिरता और संतुलन बनाए रखा है। यह प्रवृत्ति वित्तीय अनुशासन और दूरदर्शी नीति निर्धारण की पुष्टि करती है।

सहसंबंध विश्लेषण (Correlation Analysis):

नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर तीनों आर्थिक मानों (कुल आय, कुल व्यय, अधिशेष) के बीच Pearson सहसंबंध गुणांक की गणना की गई:

चर	कुल आय से सहसंबंध	कुल व्यय से सहसंबंध	अधिशेष से सहसंबंध
कुल आय (₹)	1.000	0.953	0.900
कुल व्यय (₹)	0.953	1.000	0.725
अधिशेष (₹)	0.900	0.725	1.000

- **कुल आय और अधिशेष** के बीच **0.900** का उच्च सकारात्मक सहसंबंध है, जो दर्शाता है कि जैसे-जैसे कुल आय बढ़ती है, अधिशेष भी बढ़ता है।
- **कुल व्यय और अधिशेष** के बीच सहसंबंध **0.725** है, जो मध्यम से उच्च स्तर का सकारात्मक सहसंबंध है। इसका तात्पर्य है कि व्यय बढ़ने पर अधिशेष में भी कुछ हद तक वृद्धि होती है, किंतु यह आय की तुलना में कमजोर संबंध है।
- **कुल आय और कुल व्यय** के बीच **0.953** का बहुत मजबूत सकारात्मक सहसंबंध है, जो दर्शाता है कि आय और व्यय लगभग समान दर से बढ़ते हैं।

यह आंकड़ा दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड की आय, व्यय और अधिशेष के बीच मजबूत सहसंबंध है। यदि भविष्य में आय में वृद्धि होती है, तो अधिशेष में भी वृद्धि की संभावना अधिक है। यह बोर्ड की वित्तीय स्थिरता और प्रभावी नियोजन क्षमता का संकेतक है। अध्ययन अवधि के दौरान (मंडी) बोर्ड की राजस्व वृद्धि, व्यय नियंत्रण और बचत दर में हुई बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि संस्था अधिक दक्ष, उत्तरदायी और लक्ष्य-केंद्रित होती जा रही है। यह प्रवृत्ति भविष्य में कृषक हितैषी योजनाओं के विस्तार और अधोसंरचना विकास के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

प्रमुख योजनाएं एवं नवाचार (Schemes and Innovations) :

छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा लागू प्रमुख योजनाओं एवं नवाचारों में *डिजिटल मंडी पोर्टल* का सशक्तीकरण शामिल है, जिससे पारदर्शी और दक्ष व्यापार सुनिश्चित होता है। *कृषक विश्राम गृहों* का निर्माण

किसानों को मंडी समितियों में ठहरने की सुविधा प्रदान करता है। *सौर ऊर्जा आधारित कोल्ड स्टोरेज* किसानों की उपज को सुरक्षित रखने हेतु एक हरित समाधान है। *ई-मंडी एप* के माध्यम से ऑनलाइन बोली की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे व्यापार में गति आई है। *एफपीओ पंजीकरण प्रोत्साहन योजना* के तहत कृषक उत्पादक संगठनों को आर्थिक सहायता देकर समूह आधारित विपणन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

प्रमुख चुनौतियाँ (Key Challenges) :

- ई मंडी समितियों में आधुनिक तकनीकी सुविधाओं की कमी।
- निरीक्षण व्यवस्था सक्रिय नहीं होने से पारदर्शिता में कमी।
- सीमांत और छोटे किसानों की भागीदारी सीमित।
- श्रेणी 'स' और 'द' मंडियों का धीमा विकास।
- कर्मचारियों की संख्या में कमी से संचालन प्रभावित।
- कई क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव।
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मंडी संचालन में कठिनाई।

निष्कर्ष (Conclusion) :

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने 2021–2025 की अवधि में वित्तीय प्रबंधन, योजना निर्माण और नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। बोर्ड ने आय और व्यय के बीच संतुलन बनाकर अधिशेष को बढ़ाया, जिससे संस्था की वित्तीय स्थिरता और विश्वसनीयता में सुधार हुआ। 2024–25 में 22.94% अधिशेष प्राप्त होना इसकी कुशल वित्तीय नीति का प्रमाण है। डिजिटल मंडी पोर्टल, ई-बोली प्रणाली, कोल्ड स्टोरेज, कृषक विश्राम गृह, महिला कृषक केंद्र जैसे आधुनिक उपायों ने पारदर्शिता, सुविधा और किसानों की भागीदारी को सशक्त बनाया। इन नवाचारों से ग्रामीण कृषि बाजार अधिक संगठित और किसान हितैषी बने हैं।

हालांकि, निरीक्षण व्यवस्था, तकनीकी प्रशिक्षण, मंडी समितियों का सुधार तथा कृषक जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं में अभी भी और सुधार की आवश्यकता बनी हुई है। इन सुधारात्मक कदमों से न केवल पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है बल्कि भविष्य में योजनाओं के प्रभाव को और अधिक व्यापक व स्थायी बनाया जा सकता है। समग्र रूप से, (मंडी) बोर्ड ने कृषि क्षेत्र को सशक्त करने और किसानों की आय वृद्धि तथा ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार किया है, जो आने वाले वर्षों में और भी अधिक प्रभावी सिद्ध होगा।

सुझाव (Recommendations) :

1. (मंडी) बोर्ड में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती कर प्रशासनिक क्षमता को मजबूत किया जाए।
2. मंडी समितियों का समय-समय पर निरीक्षण सुनिश्चित करने हेतु एक स्वतंत्र निरीक्षण प्रकोष्ठ का गठन हो।
3. मंडी समितियों की श्रेणीकरण प्रक्रिया पारदर्शी हो और 'स' तथा 'द' श्रेणी की मंडियों को उन्नयन हेतु लक्ष्य निर्धारित किया जाए।
4. कृषकों हेतु अधिक संख्या में विश्राम गृह, बीमा सुविधा, और ग्रेडिंग मशीन जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
5. सीमांत किसानों हेतु सस्ती परिवहन सुविधा और मंडी तक पहुंच के लिए पक्की सड़क व्यवस्था की जाए।
6. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक मंडी प्रांगण की व्यवस्था की जाए।
7. मंडीसमितियों में डिजिटल सुविधा, CCTV और ई-ऑक्शन व्यवस्था को सभी स्तरों पर लागू किया जाए।
8. महिला कृषकों हेतु पृथक विश्राम गृह और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाए।
9. कृषक जागरूकता शिविरों की संख्या एवं गुणवत्ता में वृद्धि की जाए।
10. (मंडी) बोर्ड द्वारा योजना क्रियान्वयन की समय-समय पर मूल्यांकन प्रणाली लागू की जाए।
11. (मंडी) बोर्ड और कृषि विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर कृषकों को व्यापक लाभ पहुँचाया जाए।
12. ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन से जुड़े स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई जाए।

संदर्भ (References) :

1. 1.छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट (2021–2025)
2. छत्तीसगढ़ राज्य बजट दस्तावेज (2021–2025)
3. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
4. छत्तीसगढ़ शासन की आधिकारिक वेबसाइट: https://cgstate.gov.in
5. (मंडी) बोर्ड पोर्टल एवं ई-मंडी पोर्टल रिपोर्ट्स
6. आचार्य, एस. एस. (2004). *कृषि विपणन और ग्रामीण विकास.* रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।
7. ममोरिया, सी. बी., एवं जोशी, आर. एल. (2018). *भारत में विपणन के सिद्धांत एवं व्यवहार.* किताब महल, इलाहाबाद।